तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभि0 अपीलांट
श्रीमती सविता चौहान उप राजकीय, अभि0

दिनांक : 23.9.2022

निर्णय

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 239 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 12–7–2002 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि मु.नं. 180 / 336 रकबा 25 बीघा मु.नं. 179 / 336 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट के दादा मलू के नाम 1955 से पूर्व से अस्थाई आवंटन की भूमि थी तथा उसके पिता को 177 / 344 की 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि अस्थाई आवंटन की भूमि थी। उनके पिता को उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ़ द्वारा 9–6–72 को 64 बीघा 10 बिस्वा भूमि बारानी का पुख्ता आवंटन कर दिया तथा शेष 331 बीघा मु.नं. 179 / 344 की भूमि को सरकार में दर्ज करने का आदेश दिया गया। अपीलांट के पिता द्वारा अतिरिक्त कोलोनाईजेशन कमिश्नर के अपील करने पर अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड कर दुबारा सुनवाई का अवसर देकर फैसला करने का आदेश दिया गया। आंवटन अधिकारी द्वारा 20–11–76 को अपीलांट के पिता को 75 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन करने के बाद शेष बची भूमि को उसके बालिग पुत्रों को पुख्ता आवंटन कराने के लिए अलग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से प्रार्थना पत्र पेश करने का निर्देश दिया गया। जिसके आधार पर अपीलांट्स द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र 13 (5) के तहत पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पिता की शेष बची हुई भूमि नहीं होना मानकर मनमाने तौर पर बिना रेकार्ड का अवलोकन किये खारिज करने का आदेश दिया गया है, वह गैर कानूनी होने के कारण निरस्तनीय है। आवंटन अधिकारी द्वारा 20–11–76 के फैसले में अस्थाई आवंटन भूमि में से सुरजाराम को पुख्ता आवंटन के बाद शेष बची भूमि को उसके बालिग पुत्रों को अलग से प्रार्थना पत्रों द्वारा आवंटन का अधिकारी होना माना गया है। अपीलांट्स द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(29) उप. 86 दिनांक 10–8–98 को जारी किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन बालिग पुत्रों ने अपने पिता की अस्थाई आवंटन की भूमि के लिए 13(5)बी के तहत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये हैं वे अब पेश कर सकते हैं। इसी के अनुरूप प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा सबूत पेश किये गए थे जिनका कोई विवेचन किये बिना जो निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क है कि 1955 से पूर्व से ही अपीलांट के पिता तथा अपीलांट का आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा अपीलांट के पिता की शेष भूमि को उनके बालिग पुत्रों को आवंटन करने के निर्देश दिये गये है। अपीलांट्स द्वारा पेश रेकार्ड व साक्ष्य को पूर्णतया अनदेखी कर गलत फैसला दिया गया जो आदेश अन्तर्गत अपील निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जावे एवं विवादित भूमि को अपीलांट्स के नाम पुख्ता आवंटन करने के आदेश पारित किये जावें। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि चक 8 एसएडी का मु.नं. 179 / 336 का 24.10 बीघा तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	180 / 336 का 25 बीघा कुल 49.10 बीघा अनकमाण्ड बिना कीमत तथा चक नं. 8 एसएडी का मु.नं0 177 / 344 में 24.10 बीघा रकबा अनकमाण्ड आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रायसिंहनगर के द्वारा दिनांक 9–6–72 पूर्व में आवंटन किया जा चुका है। अपीलांट के पिता के नाम से उक्त आवंटन के अलावा मु.नं. 179 / 344 का 22.12 बीघा सीलिंग सीमा से अधिक होने पर बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये गये हैं। तत्पश्चात आवंटन अधिकारी के आदेश दिनांक 20–11–76 द्वारा रेस्पोडेन्ट सुरजाराम पुत्र मलूराम को उसकी इच्छानुसार भूमि आवंटन की गई थी। शेष भूमि 22.12 बीघा सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण खारिज की गई है। इसलिए बालिग पुत्रों के रूप में आवंटन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यों को दष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को सही रूप से खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत से सहमति दर्शाते हुए अपीलांट्स की अपील को खारिज किया है, जो उचित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों पारित निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। अतः यह अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा बालिग पुत्रों की हैसीयत से एक प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (इ.गां.न.यो.क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम 1975 के नियम 13(5) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें यह कहा कि अपीलांट के पिता और दादा की सरप्लस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि में से आवंटन किया जावे। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 9–8–2000 द्वारा अपीलांट के पिता व दादा की भूमि को बालिग पुत्रों की नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–7–2002 अपीलांट द्वारा अपीलांट्स की अपील खारिज कर दी। अपीलांट्स जिस भूमि को बालिग पुत्रों के हिसाब से आवंटन करना चाहते है वह भूमि सरप्लस भूमि की परिभाषा में नहीं आती है। अपीलांट के पिता के पास कोई सरप्लस भूमि नहीं बची बल्कि चक 8 एसएडी का मु.नं.179/336 का 24 बीघा 10 बिस्वा तथा 180/336 की 25 बीघा कुल 49 बीघा 10 बिस्वा बिना कीमतन तथा चक 8एसएडी का मु.नं. 177/344 में 24 बीघा 10 बिस्वा आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 9–6–72 को आवंटन किया गया जिसको अपीलांट भी इन्कार नहीं कर रहे केवल मु.नं. 179/344 की 22.12 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये गए थे और उक्त आदेश आज तक अपीलांट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कराया गया इस प्रकार यह भूमि बालिग पुत्र की परिभाषा में नहीं आने से आवंटन अधिकारी द्वारा सही रूप से खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपील खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 12–7–2002 एवं 9–8–2000 यथावत रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	